

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 20/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रामुराम पुत्र श्री पीराराम जाति जाट निवासी ग्राम-पड़ासला तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1. आसुराम पुत्र सुजाराम जाति नाई, निवासी पड़ासला तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2. ग्राम पंचायत पड़ासला जरिये सरपंच तहसील ओसियां जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध संकल्प संख्या 4 दिनांक 14.12.10 पट्टा बुक नम्बर 33 पट्टा नम्बर 6 ग्राम पंचायत कोर्ट पड़ासला पंचायत समिति ओसियां।

- उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी उपस्थित।
 2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजु वी.जोश उपस्थित
 3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 26.06.2019

प्रार्थी रामुराम पुत्र श्री पीराराम जाति जाट निवासी ग्राम पड़ासला तहसील ओसियां जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थीगण आसुराम पुत्र सुजाराम जाति नाई, निवासी ग्राम पड़ासला तहसील ओसियां जिला जोधपुर वगैरह के विरुद्ध सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा दिनांक 14.12.2010 को मिसल संख्या 12/2010-11 को जारी पट्टा संख्या 06 को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कोर्ट पड़ासला द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 की मिली भगत से दिनांक 14.12.10 जरिये संकल्प संख्या 4 की अनुपालना में दिनांक 14.12.10 को पट्टा संख्या 06 जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157(1) के तहत भूमि बनाप 50x50 फुट कुल क्षेत्रफल 277.77 वर्गगज का ग्राम चौहटा की खालसा भूमि पर जारी किया गया जिसको प्राप्त करने की अप्रार्थी संख्या 1 कानूनी तौर पर कोई हकदार नहीं है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया गया जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है:-

1. ग्राम पंचायत पड़ासला ने पट्टा संख्या 6, संकल्प संख्या 4 दिनांक 14.12.10 की अनुपालना में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत उक्त पट्टा प्रारूप 23(क) में जारी करना बताया गया है जबकि उक्त नियम पुराने ग्रहो का विनियमितिकरण जहाँ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने ग्रह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो वहाँ के निम्नानुसार राशि

जमा करावे जिन्हे इसके पश्चात पंचायत द्वारा (प्रारूप 23 क) पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्षों से अधिक पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/- रुपये

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/- रुपये

2. अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा की भूमि पर न तो अप्रार्थी का कोई पुराना मकान निर्मित था न ही कोई कब्जा था मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा में दर्शाई भूमि पूर्णरूप से खाली थी। अप्रार्थी संख्या 1 कानूनी तौर पर इस नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं था फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर बिना कोई जांच पड़ताल व मौका मुआयना किए उक्त पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत पड़ासला ने न ही कोई नोटिस चस्पा किए एवं न ही आपत्तियाँ आमन्त्रित की है। अप्रार्थी संख्या 1 कानूनी तौर पर उक्त नियमों में पट्टा लेने की पात्रता ही नहीं रखता था फिर भी ग्राम पंचायत ने नियम विरुद्ध संकल्प पारित कर पट्टा जारी किया जो काबिल निरस्त है।
3. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र में विवादित पट्टे की भूमि में न तो अपना पुराना रहवास बताया है न ही भूमि का खसरा नम्बर बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने आवेदन में पुराने कब्जे बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं करवाई है तथा पंच की कमेटी ने भी कोई कब्जा होना नहीं बताया है न ही चस्पानगी की कार्यवाही की गई है। पंचायत प्रस्ताव व पट्टा की मिसले एक ही दिन में तैयार कर प्रशासन गाँव के संग अभियान 2010 के तहत उक्त पट्टा जारी कर दिया जबकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में नियम 157(1) के तहत जारी पट्टे मात्र पचास वर्षों से अधिक पुराने घर के कब्जे पर/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षों के दौरान संनिर्मित किया गया है तभी पट्टा जारी किया जा सकता है, इसके अलावा प्रशासन गाँव के संग की आड में ग्राम पंचायत पड़ासला की आबादी की ग्राम चौहटा की खालसा खाली भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त भूखण्ड का पट्टा जरिये नीलामी ही दिया जा सकता है तथा इस भूखण्ड की कीमत करीब 2 लाख रुपये से अधिक है। उक्त बेसकीमती भूमि बिना किसी कब्जा व रहवास के बिना कोई जांच पड़ताल किए अप्रार्थी संख्या 1 को निशुल्क पट्टा जारी कर कानून की अवेहलना कर अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज रूप से लाभ पहुँचा कर भारी कानूनी त्रुटि की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्त करने योग्य है।
4. राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 148 के अनुसार न तो प्रपत्र संख्या 22 में आपत्तियाँ आमन्त्रित की गईं न ही कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 को फायदा पहुँचाने के लिए तत्कालीन सरपंच द्वारा मिलीभगत कर फर्जी तरीके से सारी कार्यवाही कर ग्राम पंचायत की बेसकीमती भूमि जिसकी कीमत लाखों रुपये में है जिसे नीलामी द्वारा ही पट्टे जारी किए जा सकते थे परन्तु नियम 157(1) के तहत पट्टे जारी कर दिए जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 का भूमि पर कभी भी कब्जा ही नहीं रहा तो इस भूमि पर वह कोई पट्टा प्राप्त नहीं कर सकता था फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त पट्टा जारी कर भारी कानूनी भूल की है इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है।

5. उक्त पट्टा के विक्रय की पुष्टि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 154(3) के तहत पंचायत समिति से इस विक्रय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई न ही पुष्टि करवाई गई। विहित प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि के अभाव में जारी किए गए पट्टे विधिवत रूप से कोई मान्यता नहीं रखते हैं। इस कारण भी उपरोक्त पट्टे काबिल निरस्त है।
6. अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 142 से 156 के प्रावधानों की कतई पालना नहीं की गई है न ही नियम 156(क) के प्रावधानों की पालना की है। ग्राम पंचायत ने नियम 146 के तहत वार्ड पंचो की गठित तीन सदस्य पंचो की कमेटी का गठन किया, न ही मौके की मौका रिपोर्ट मंगवाई कि मौके पर किसका कब्जा है, अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कैसे प्रमाणित हो रहा है, कब्जा कब से व किस रूप में है। सरपंच द्वारा एक प्रिण्टेड साइक्लोस्टाइल प्रपत्र पर कुछ रिक्त स्थानों में खानापूति करके पट्टा जारी किया है। पत्रावलियों में नक्शा फार्म लगा हुआ है जिस पर ग्राम सेवक व सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं। नक्शा फार्म में भूमि के खसरा नम्बर तक अंकित नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नियम 156 (क) के अनुसार यह भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि भूमि का नीलामी द्वारा अन्तरण किया जाना उपयुक्त क्यों नहीं था जबकि भूमि ग्राम पंचायत पडासला के चौहटे की खालसा भूमि पर थी जो मात्र नीलामी के माध्यम से ही पट्टा जारी किया जा सकता था एवं उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की थी जबकि इस भूमि का आवासीय पट्टा दिया जाना कतई न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं था। पट्टे में यह भी उल्लेख नहीं किया कि वर्तमान में आवेदक कहा निवास कर रहे हैं आवेदक का कब्जा किस आधार पर प्रमाणित हो रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत पडासला द्वारा जारी पट्टा प्रथम दृष्टया भ्रामक, अपूर्ण एवं तथ्यो से परे तैयार किया गया है जो आबादी की बेसकीमती भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नियम 145 के तहत क्रय के लिए आवेदन में आवेदन कर्ताओं द्वारा आवेदन स्थल निरीक्षण की राशि जमा नहीं करवाई गई है न ही नक्शा तैयार करवाने की राशि जमा करवाई गई है। नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण नहीं करवाया गया है तथा नियम 147 के तहत यह तय क्यों नहीं किया कि भूमि का विक्रय क्यों नहीं किया जाए। नियम 148 के तहत न तो आपत्तियाँ आमन्त्रित की गईं और न ही प्रारूप 22 में नोटिस जारी किया गया, न ही नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम की कार्यवाही की गई, न ही नीलामी समिति का गठन किया गया। इस प्रकार किसी भी नियम की पालना नहीं की गई। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय आदेश काबिल निरस्त है।
7. उक्त पट्टे में दर्शाई भूमि ग्राम पंचायत की आबादी में बेसकीमती ग्राम पंचायत की आबादी के सार्वजनिक उपयोग की खालसा भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिली भगत कर प्रशासन गाँव के संग अभियान 2010 में उक्त पट्टा प्राप्त कर लिया। अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार के पास पूर्व में ही आबादी भूमि है जो नियमानुसार निशुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है।
8. उक्त पट्टे के सन्दर्भ में मिसल संख्या 12/2010-11 बनाई गई जिसमें प्रार्थी के आवेदन पर न तो ग्राम पंचायत के सरपंच या ग्राम सेवक के हस्ताक्षर हैं एवं न ही नक्शा फार्म पर सरपंच, ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत के पट्टो की कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं न ही नक्शा बनाने वालों के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी संख्या 1 का

कब्जा किस रूप में है उक्त नक्शा फार्म पर कही उल्लेख नहीं है। पटवारी के किस्म भूमि प्रमाण पत्र में पटवारी के हस्ताक्षर व खसरा नम्बर का अंकन नहीं है एवं न ही अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे बाबत कोई विवरण अंकित है। प्रपत्र 22 में न तो भूखण्ड की साईज का अंकन है, न ही सरपंच या ग्राम सेवक के हस्ताक्षर हैं। मौका रिपोर्ट पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है, न ही अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा किस रूप में है का अंकन है, दिनांक 14.12.2010 की आदेशिका ग्राम पंचायत कार्यालय प्रशासन गाँवों के संग 2010 पर सरपंच या अन्य किसी पदाधिकारी के पट्टा जारी करने के हस्ताक्षर नहीं है। पडौंसियो के शपथ पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कब से है का अंकन नहीं है एवं स्वयं का शपथ पत्र भी साईकलोस्टाईल प्रपत्र में दिया गया है जिससे प्रार्थी का कब्जा साबित नहीं है। अप्रार्थी नियम 157(1) के तहत उपरोक्त पट्टा प्राप्त करने का कानूनी तौर पर कतई अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी को जारी किया गया पट्टा काबिल निरस्त है।

अतः प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा दिनांक 14.12.2010 को मिसल संख्या 12/2010-11 को जारी पट्टा संख्या 06 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि पट्टे से संबंधित मिसल में आवश्यक कागजात नहीं है एवं जो है वे भी अपूर्ण है। ग्राम पंचायत द्वारा आपतियां भी आमंत्रित नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में सभी कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है। पट्टा संख्या 6 में नियम 141 के किसी भी नियम की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने के साक्ष्य नहीं होने से भी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी उसी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी व हितबद्ध पक्षकार होने से निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 14.12.2010 को जारी पट्टा संख्या 06 मिसल संख्या 12/2010-11 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजु वी. जोश ने अपनी बहस में बताया कि निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कभी कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान में कब्जा है। इसके अलावा निगरानीकर्ता स्वयं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से, निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूखण्ड के पट्टे को खारिज करवाने हेतु निगरानी पेश नहीं की जा सकती है। अतः ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा नियमानुसार एवं सही जारी होने से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जाकर संकल्प संख्या 04 एवं उसकी पालना में दिनांक 14.12.2010 को जारी पट्टा संख्या 06 यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी व बहस पर मनन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत पड़ासला के सरपंच द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आपतियां आमंत्रित व नोटिस जारी किये बगैर अप्रार्थी संख्या 1 को कुल 277.77 वर्ग गज भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रहवासीय प्रयोजनों के लिए 100 वर्गगज या अधिक के और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए 200 वर्गफुट तक के पट्टा बगैर नीलामी कार्यवाही के जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व

ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा नीलामी एवं बोली की कार्यवाही निष्पादित नहीं की गयी। उक्त निगरानीधीन पट्टा में नीलामी के माध्यम से जारी करने का अभाव पाया गया है। यदि आबादी भूमियों के पट्टे को जरिये नीलामी के जारी किया जाता तो निश्चित रूप से राज्यकोष में आय बढ़ती जिसका उपयोग विकास कार्य में किया जा सकता था लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही की जाना नहीं पाया गया है। पत्रावली में अप्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने के साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा पट्टा मिसल में उपलब्ध दस्तावेज में पटवारी, सरपंच, ग्राम पंचायत के पट्टो की कमेटी के सदस्यों व नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा सभी दस्तावेज अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हम उक्त निगरानीधीन पट्टे को खारिज करना उचित समझते है।

उपरोक्त निष्कर्षोपरान्त ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा नियमों से बाहर जाकर, प्रक्रिया की पालना न करते हुए, सीमा से ज्यादा भूमि का पट्टा बगैर नीलामी एवं बोली की कार्यवाही के जारी करने तथा अप्रार्थी को आबादी की बेशकीमती भूमि का पट्टा संख्या 06 विधि विरुद्ध ढंग से जारी किया गया है उसे न्यायहित में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पड़ासला पंचायत समिति, बापिणी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर